

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर


फर्द अहकाम

बउनवानी रामोतार पुत्र केसर लाल बनाम प्रधानाध्यापक रा.उ.मा.वि. कुशलपुरा वगै.

किस्म प्रकरण- मुत्तकिली प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 27 / 2022

जीसीएमएस संख्या 2022 / 207

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
8.9.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व उपस्थित। पैरोकार राजस्व द्वारा कथन किया कि यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त मुत्तकिली प्रार्थना पत्र Infructuous हो चुका है। इसलिए मुत्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पैरोकार राजस्व के कथन से हम सहमत है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुत्तकिली प्रार्थना पत्र Infructuous हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;"> (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p> 